न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 11/2014 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— रामस्वरूप पुत्र भीखाराम जाति बिश्नोई निवासी 7 के.डी. थाना पुलिस रावला तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

——— अपीलान्ट

—— बनाम ——

राजस्थान राज्य जरिये राजकीय अभिभाषक

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री गगन मोदी — अभिभाषक अपीलांट
श्री विष्णु स्वामी — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 09.10.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अति.जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 13.08.2014, जिसके द्वारा अपीलांट के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 35/84 डीएम श्रीगंगानगर निरस्त किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 35/84 डीएम श्रीगंगानगर बना है, जिस पर 12 बोर डीबीबीएल गन सं. 29911 दर्ज है, जो दिनांक 31.07.2005 तक नवीनीकृत है। अपीलांट द्वारा उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.9.2011 को लगभग 6 वर्ष 1 माह 15 दिन विलम्ब से जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर पुलिस से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट क्रमांक 2560 दिनांक 23.12.11 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध मुकदमा सं. 115/99 अन्तर्गत धारा 380, 454, 379, 149, 447, 336 आईपीसी एवं 27 आर्म्स एक्ट में चालान व सजा एवं मुकदमा सं. 106/06 अन्तर्गत धारा 341, 323, 34 आईपीसी में चालान व राजीनामा बताते हुए नवीनीकरण अनुचित है, की टिप्पणी की गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्री गंगानगर की रिपोर्ट एवं शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण का आवेदन अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत करने के आधार पर अपीलांट का लाईसेंस अति.जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ के आदेश क्रमांक 446–49 दिनांक 13.8.14 द्वारा निरस्त किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया । वक्त बहस अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 35/84 को जिला मजिस्ट्रेट, श्री गंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 16.7.05 से शस्त्र पुलिस थाना रावला में जमा होने के बाद आगामी आदेश तक निलम्बित कर दिया था तथा अपील पेश करने के दिन तक शस्त्र अनुज्ञा पत्र बहाल नहीं किया गया, इसलिए ए.डी.एम. सूरतगढ में शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण की फीस जमा नहीं हो सकी तथा दिनांक 13.8.14 को शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया गया। मातहत अदालत का उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है तथा बिना माईण्ड एप्लाई किये निर्णय दिया है। अपीलांट को बिना सुने पीठ पीछे से दिया गया निर्णय है, जो निरस्त योग्य है। मातहत अदालत ने जिन दो मुकदमों का हवाला दिया है, जिसमें एफ.आई.आर. नं. 115/99 मुकदमा नं. 758/99 में अदालत से फैसला दिनांक 10.12.99 को हुआ व धारा 3 परिवीक्षा अधिनियम का फायदा देकर छोड़ा गया था, क्योंकि न्यायालय ने कहा कि लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार कर फैसला करवालो तो अपीलांट ने लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया था, जबकि अन्य धाराओं में राजीनामा हो गया था। अदालत मातहत ने इसे आधार बनाया जो सही नहीं है। उससे पहले व बाद में शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण होता रहा है। इस तथ्य पर गौर नहीं कर मातहत अदालत ने निर्णय दिया है, जो निरस्तनीय है। मातहत अदालत ने मुकदमा नं. 106/06 का हवाला दिया है, उसमें अपीलांट निर्दोष साबित हुआ। इस फैसले की नकल लेनी चाही तो उक्त मुकदमें की पत्रावली नष्ट कर दी, इसका नकल फार्म के साथ नष्ट करने का हवाला है। इस तथ्य पर गौर नहीं कर जो निर्णय दिया गया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार उक्त दोनों मुकदमों का अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में हवाला देकर छोड़ दिया है, आरोप सिद्ध करने का भार भी ए.डी.एम. सूरतगढ का है, वे पूरा विवरण लिखते, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं कर भूल की है। इसलिए निर्णय दिनांक 13.8.14 निरस्त किये जाने योग्य है। बहस जारी रखते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि नवीनीकरण का फार्म 6 वर्ष 1 माह और 15 दिन बाद प्रस्तुत किया है, जिसका कारण किसान आन्दोलन में शस्त्र जमा होना व शस्त्र अनुज्ञा पत्र का निलम्बन होना का पूरा रिकार्ड पत्रावली पर मौजूद होने के बाद अपीलांट को देरी का दोषी माना व अपनी गलती को छुपा कर जो निर्णय दिया गया है, वह निरस्त किये

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रकरण में अपीलांट द्वारा शस्त्र के दुरूपयोग किये जाने के कारण ही अदालत ने उसे दोषी मानते हुए सजा दी है। सजायाब व्यक्ति के पास हथियार नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पत्रावली पर आवेदक द्वारा नवीनीकरण का आवेदन पत्र भी 6 वर्ष 1 माह और 15 दिवस के विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, तथा विलम्ब का कोई सन्तोषप्रद कारण स्पष्ट नहीं किया, ना ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं। हम विद्वान सहायक लोक अभियोजक के कथन से सहमत हैं कि अपीलान्ट के विरुध्द 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसे व्यक्ति के पास शस्त्र रहने से उसके दुरूपयोग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। प्रकरण में व्यापक लोक शांति की सुरक्षा व कानून व्यवस्था के मध्यनजर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित आधारों पर है।

7. उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए हम न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.08.2014 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अति.जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ का आदेश दिनांक 13.08.2014 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 09.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमानसहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर